

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26, अरेरा हिल्स, भोपाल

वेबसाइट - www.mpsmb.gov.in

ईमेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/एमपी ऑनलाइन/2024/4274

भोपाल, दिनांक 28/02/2024

प्रति,

सचिव

कृषि उपज मंडी समिति

_____ जिला _____ (समस्त)

विषय - एमपी ऑनलाइन लाइसेंस पोर्टल पर लाइसेंस जारी के संबंध में।

संदर्भ - उपविधि संशोधन आदेश दिनांक 08 फरवरी 2024।

उपरोक्त विषय में उपविधि संशोधन आदेश दिनांक 08 फरवरी 2024 का अवलोकन करें। यह आदेश दिनांक 24 फरवरी 2024 से प्रभावी किया गया है। इस संबंध में लाइसेंस पोर्टल पर भी आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि -

- वर्तमान में मंडी सचिव लॉग इन पर पेंडिंग लाइसेंस आवेदन के संबंध में जिन लाइसेंस की वैधता अवधि में वृद्धि की गई है, नवीन प्रभावी वैधता अवधि अर्थात् 30 वर्ष के लिए जारी किए जाएं।
- हम्माल लाइसेंस एवं तुलावटी लाइसेंस हेतु पेंडिंग आवेदन जिसमें पूर्व में आवेदन 1 वर्ष के लिए किया गया है, के लिए पृथक् से निर्देश जारी किए जा रहे हैं।

उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाए। लाइसेंस जारी होने पर वैधता अवधि में त्रुटि संज्ञान में आने पर तत्काल अवगत कराया जाए, जिससे एमपी ऑनलाइन के माध्यम से त्रुटि सुधार कराया जा सकेगा।

अपर संचालक (नियमन)

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल

क्रमांक/बोर्ड/नियमन/एमपी ऑनलाइन/2024/4275

भोपाल, दिनांक 28/02/2024

प्रतिलिपि - उक्तानुसार सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- संयुक्त संचालक, मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय - (समस्त)।
- श्री प्रांजल कटारे, कंसल्टेंट, एमपी ऑनलाइन लिमिटेड।

अपर संचालक (नियमन)

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड

भोपाल